न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं.82/2017 (225 आरटीए) खेतमल बनाम विकास अधिकारी पं.स. बाप वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00137)

खेतमल पुत्र श्री प्रतापमल जाति महाजन, (बाढिया) निवासी गाम चापासर, तहसील बाप, जिला जोधपुर।

.... अपीलांट

बनाम

1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाप, तहसील बाप, जिला जोधपुर।
2 अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड फलोदी, तहसील फलोदी, जिला जोधपुर।
3 ग्राम पंचायत चापासर जरिये सरपंच, ग्राम चापासर, तहसील बाप जिला जोधपुर।

.... रेस्सपोडेंटस्

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप
दिनांक 12.07.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 158/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
2 रेस्पो सं. 1 की तामील शेष।
3 रेस्पो. सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 15.11.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर बाप के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 158/2017 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी वादी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चांपासर तहसील बाप के खसरा नं. 248/1 रकबा 29 बीघा 18 बिस्वा तथा खसरा नं. 248 रकबा 29 बीघा 19 बिस्वा संयुक्त खातेदारी में स्थित है, जिसमें अपीलांट रिकार्डेड खातेदार है। अपीलांट की इस संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि प्रतिवादी रेस्पोडेंट अपीलार्थी की बिना सहमति से तथा बिना समर्पण नामा करवाये तथा बिना मुआवजा दिए अपने मन माफिक तरीके से जोर जबरदस्ती करते हुए सड़क निकालनी शुरू कर दी तब अपीलांट–वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया वाद के साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा उस प्रार्थना पत्र में आवश्यक सुनवाई का

प्रार्थना पत्र तथा धारा 151 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश के जरिये खारिज कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.07.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आ चुका है जिसके अवलोकन से यह जाहिर हुआ है कि प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. से संबंधित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र अपील प्रस्तुत करने के बाद दिनांक 28.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः शेष रेस्पोडेंट की तामील किया जाना आवश्यक नहीं हैं। तदुनुसार अपील का निस्तारण करने का निवेदन किया।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

6 प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट अधिवक्ता के कथन की पुष्ठि होती है कि प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. से संबंधित धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र का दिनांक 28.06.2018 को अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णित कर दिया है। अतः प्रस्तुत अपील प्रभावहीन हो चुकी है। अतः अपील प्रभावहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

7 अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।

15/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

8. निर्णय आज दिनांक 15.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/11/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर